न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,टोंक

(पीठासीन अधिकारी: जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0—87/2018

प्रविष्टि दिनांक – 24.07.2018

उनवान

1. सीताराम पुत्र भूरा जाति माली उम्र 45 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेडिवास तह0 व जिला टोंक
2. गोपाल पुत्र भूरा जाति माली उम्र 35 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेडिवास तह0 व जिला टोंक
3. श्याम पुत्र भूरा जाति माली उम्र 26 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेडिवास तह0 व जिला टोंक
4. सीता पुत्री भूरा जाति माली उम्र 40 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेडिवास तह0 व जिला टोंक
5. पार्वती पुत्री भूरा जाति माली उम्र 30 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेडिवास तह0 व जिला टोंक
6. गंगा बेवा भूरा जाति माली उम्र 65 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेडिवास तह0 जिला टोंक

–वादी/आवेदक

बनाम

1. राशीद खान पुत्र अल्लानुर खान जाति मुसलमान निवासी लाडली बेगम की मस्जिद के पिछे काफला, टोंक तह0 व जिला टोंक
2. सैय्यद मौहम्मद हसन पुत्र सैय्यद अखतर हसन जाति मुसलमान निवासी रोडवेज वर्क शॉप के पिछे जेल रोड, टोंक तह. टोंक
3. मुन्नी देवी पत्नि नन्दलाल जैन (संघी) जाति महाजन निवासी आदर्श नगर, टोंक तह0 व जिला टोंक (राज0)
4. रामदयाल पुत्र पन्ना लाल जाति माली निवासी तालकटोरा, टोंक तह0 व जिला टोंक (राज0)
5. ग्यारसी देवी पुत्री पन्ना लाल जाति माली निवासी तालकटोरा, टोंक तह0 जिला टोंक(राज0)
6. धापू देवी पुत्री पन्ना लाल जाति माली निवासी तालकटोरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
7. तहसीलदार जी, टोंक

–प्रतिवादी/प्रार्थीगण

उपस्थित– श्री विवेक चौधरी अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुजाअत हुसैन व श्री भजनलाल सेनी अभिभाषक अप्रार्थी

आवेदन रास्ता दिलाये एवं नक्शा शीट में रास्ते की तरमीम किये जाने बाबत अन्तर्गत धारा–251 ए आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक – 17/8/2019

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र यह है कि प्रार्थीगण स्व. भूरा पुत्र सुन्दरा जाति माली के वारिसान है जिनकी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 5425 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 5428 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की पटवार हल्का कस्बा टोंक शर्की पटवान हल्का कस्बा टोंक भू.अ.नि. क्षेत्र कस्बा टोंक तहसील टोंक में स्थित है। इसके अतिरिक्त चाह ख.नं. 5422 रकबा 02 बिस्वा प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है। आवदेकगण को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेतों में से होकर आना जाना पडता है। अप्रार्थीगण के की आराजी में से निकले हुए रास्ते का उपयेाग उपभोग प्रार्थीगण व उनके पूर्वज कदीम से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के खेतों में से जाने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रासता नहीं हैं । हाल ही में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

के खेत में जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया है और अपनी खातेदारी की आराजीयात में से प्रार्थीगण को अपने जाने के लिए मना कर दिया है और कदीमी रास्ते को पूर्णतया नष्ट कर प्लाट काटने का प्रयास किया जा रहा हैं। वर्षो पूर्व भी उक्त आराजी में पहुंचने के लिए विवाद चला था। जिसका निस्तारण तहसीलदार जी टोंक द्वारा दिनांक 27.05.1956 को किया जाकर रास्ता उपलब्ध करवाया गया था। प्रार्थीगण को अपने चाहे से आराजी पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के खेतों में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है ताकि प्रार्थीगण अपनी आराजी पर सुविधा जनक तरीके से पहुंच कर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग कर सके। जिसके लिए श्रीमान् के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी व चाह पर पहुंचाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावें तथा रास्ते की तश्मीम नक्शा शीट में अंकित करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। अप्राथीगण 1 ता 3 ने संक्षेप्त में जवाब पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को गलत व खिलाफे कानून बताते हुए खारिज किये जाने का निवदेन किया। अप्रार्थीगण 4 ता 6 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर व कुएं पर पहुंचने के लिए रास्ता हेतु पूर्व में भी विवाद हुआ था। तब तहसीलदार टोंक ने निर्णय दिनांक 27.07.1956 के द्वारा तथा अपील करने पर न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 06.11.1956 को निर्णय दिया गया था, जिनके अनुसार प्रार्थीगण पूर्वज सारू बैवा सुन्दरा माली के हक में यह निर्णय दिया था कि पन्ना वल्द मंगला ने जो खेत नं0 पुराने खसरानम्बर के अनुसार 4865, 4866,4867,4868 के दरमियान लगाकर रास्ता खेत नं0 4866 से रोक दिया है वह तुडवा दी गयी और सारू को आबादी 4862 से खेत सं0 4864,4865,4866 की मेड से जाने का रास्ता माफिक कदीम दिया गया। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 5422 रकबा 2 बिस्वा पर आने जाने का रासता हाल खसरा नम्बर 5424, 5425, 5426 के मेर से होता हुआ दिया गया था खसरा नम्बर 5424 प्रतिपक्षी सं. 1 ता 3 की खातेदारी में है, जिसमें खसरा नम्बर 5424, 5425, 5426 की मेर के सहारे खसरा नम्बर 5424 में पेड खडे है इस कारण पूर्व तहसीलदार के निर्णयानुसार पेडों को हटाकर रास्ता फैसले के अनुसार बहाल किया जा सकता है। खसरा नम्बर 5426 जो प्रार्थी सं. 4 ता 6 की खातेदारी में है, की मेर के सहारे पानी के धोरे को छोडकर 2 फीट भूमि रास्ते के लिए कदीम से यानि तहसीलदार टोंक के निर्णय दिनांक 27.07.1956 के पश्चात प्रार्थीगण के आने जाने में तथा खसरा नम्बर 5422 शामलाती कुआं व खसरा नम्बर 5428 पर पहुंचने के लिए उपयोग, उपभोग में आ रही है। जब पूर्व में ही रास्ता विद्यमान है तो अब प्रार्थीगण को 30 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में होकर नहीं दिया जा सकता है। इतने चोडे रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं बतायी गई है। प्रार्थीगण पूर्व के निर्णय को नहीं मानकर अब जबरन अप्रार्थीगण के खेतों में होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है तथा आये दिन झगडा फसाद करते है, उन्है खेतों में होकर नया रास्ता लेने का अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 उक्त रास्ते में अडचन करते है तो प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में रास्ता खुलासा का वाद दायर कर सकते है या तहसीलदार टोंक को रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन पेश कर सकते है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के आदेश की कहीं भी अपील नहीं की गई है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण ने जवाब के साथ नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028–2047, फोटो कॉपी न्यायालय तहसीलदार टोंक के निर्णय दिनांक 27.07.1956, जिला कलेक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 06.11.1956 पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण की ओर से निम्न नजीरे प्रस्तुत कीः–

ण्ड अधिकारी
क (राज०)

RRT 423/ 2017(1)
RRT 427/ 2017(1)
RRD 458/ 2016

Scanned by CamScanner

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान दोनों ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। जिसका यहा पृथक से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार एंव जिला कलेक्टर महोदय के पूर्व निर्णय एंव मिला क्षैत्रफल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पूर्व में भी निर्णय हो चुका है। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की पालना करवानी चाहिए यदि ऐतराज है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, जो नहीं की जाकर इस न्यायालय में पुनः नऐ सीरे से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो भारहीन एंव सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है। इसलिए यह न्यायालय आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 एं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर भारहीन एंव सारहीन होने से खाजिर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 17/6/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner